

अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्षः 19 | अंकः 138 | आगरा, शनिवार 07 नवम्बर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

सिर्फ सैनिकों से नहीं, उपकरणों से तय होती है असली ताकत

नौसैनिक शक्ति में चीन संख्या में आगे, अमेरिका क्षमता में नंबर-वन पर

भारत 14.31 लाख सैनिकों के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है



नई दिल्ली,(ए)। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की बात होते ही अकसर अमेरिका या चीन का नाम पहले आता है, लेकिन सैन्य शक्ति का वास्तविक आकलन सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं होता। ग्लोबल फायरपावर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक जब सक्रिय सैन्य कर्मियों, टैंकों, युद्धक विमानों और नौसैनिक जहाजों जैसे प्रमुख पैमानों पर दुनिया के शीर्ष देशों की तुलना की जाती है, तो तस्वीर काफी बदल जाती है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि संख्या मात्र से कहीं अधिक, उपकरण की गुणवत्ता और सामरिक क्षमता मायने रखती है। सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या के मामले में चीन 20.4 लाख सैनिकों के साथ सबसे आगे है, जबकि भारत 14.31 लाख कर्मियों के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। इस सूची में अमेरिका 13.3 लाख सैनिकों के साथ तीसरे और उत्तर कोरिया 13.2 लाख कर्मियों के साथ चौथे नंबर पर है, जो अमेरिका के काफी करीब है। रूस 13.2 लाख सैनिकों के साथ पांचवें स्थान पर है, इसके बाद यूक्रेन, पाकिस्तान, ईरान, इथोपिया और तुर्की जैसे देश आते हैं। टैंकों के जखीरे की बात करें तो अमेरिका शीर्ष-चार से बाहर हो जाता है। चीन 5,870 टैंकों के साथ पहले स्थान पर है, जिसके बाद रूस 5,630 टैंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। उत्तर कोरिया 4,895 टैंकों के साथ अमेरिका (4,666 टैंक) को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर है। भारत इस मामले में 3,913 टैंकों के साथ पांचवें नंबर पर है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के कई टैंक पुराने सोवियत डिजाइन पर आधारित हैं, जो आधुनिक युद्ध के मैदान में प्रभावी नहीं हो सकते। ड्रोन युद्ध के दौर में टैंकों की उपयोगिता पर भी सवाल उठे हैं, जैसा कि यूक्रेन में देखा गया। सैन्य विमानों के मामले में अमेरिका का दबदबा निर्विवाद है। उसके पास कुल 13,032 विमान हैं, जो रूस (4,237), चीन (3,529), भारत (2,183) और दक्षिण कोरिया (1,540) के कुल विमानों की संख्या से भी अधिक हैं। इस विशाल बेड़े में न केवल फाइटर जेट, बल्कि दुनिया भर में सैनिकों और साजो-सामान को ढोने वाले ट्रांसपोर्ट प्लेन और रीफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल हैं, जो उसकी वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है, जिसके बाद जापान, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और फ्रांस आते हैं। नौसैनिक जहाजों की गिनती में चीन दुनिया में सबसे आगे है, जिसके पास पैट्रोल बोट्स और छोटे जहाजों को मिलाकर कुल 841 नौसैनिक एसेट्स हैं। रूस 747 जहाजों के साथ दूसरे और अमेरिका 465 जहाजों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के पास 343 जहाज हैं, जिनमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संख्या मात्र से शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक छोटा गश्ती जहाज और एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों को एक जहाज ही गिना जाता है। कुल वजन और क्षमता के आधार पर आकलन करें तो अमेरिका आज भी चीन से लगभग ढाई गुना आगे है, जो उसकी नौसैनिक शक्ति की वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। यह विश्लेषण बताता है कि सैन्य ताकत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक और सामरिक महत्व का भी परिणाम है।

भाजपा से नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं: अभिषेक बनर्जी



कोलकाता,(ए)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राज्य में कई सालों तक सरकार चलाने वाली पार्टी के भीतर टूट की खबरें सामने आ रही हैं, जहां 50 से अधिक विधायक और 20 सांसद दूसरे दलों में जा चुके हैं। इसी बीच, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव हारी है।

बनर्जी ने अपने निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए इसे झूठा मामला बताया और राज्य के गृहमंत्री को तत्काल हटाए जाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाए कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अदालतों की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों और मतगणना के नियमों की अनदेखी की गई। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जाहिर की। अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, हम बंगाल भाजपा से नहीं, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं। हमें लगा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत कोई निर्देश देती है, तो सरकार उसे मानने के लिए मजबूर होगी, फिर भी सरकार ने अदालत के अपने ही दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, सरकार या चुनाव आयोग खुद संज्ञान लें और मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। मैं अपना पक्ष खुद रखूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ूंगा और खुद वहां पेश होऊंगा। देश की जनता को खुद देखने दीजिए। इस कार्यवाही को लाइव दिखाया जाए। आपके एक भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया।

ईवीएम को लेकर भी बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतगणना 4 तारीख को होनी थी, जबकि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रैंडमाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रैंडमाइजेशन में राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारियों की भागीदारी जरूरी होती है, फिर भी मतगणना प्रक्रिया में राज्य का एक भी अधिकारी शामिल नहीं था। उन्होंने पूरे देश को मजाक बनाने और चुनावी धांधली से जीतने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के एक महीने के भीतर ही सारी ईवीएम जला दी गई, जिस पर कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए निर्देशों को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नहीं माना। टीएमसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि एनक्रिप्टेड चैट्स के बजाय ट्रेस किए जा सकें ऐसे सर्कुलर निकाले जाएं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दी गई आदेशों को चुनौती को खारिज कर दिया था और चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें केंद्रीय बलों की तैनाती को चुनाव कानूनों का उल्लंघन नहीं माना गया था।

नेतन्याहू की हार से खुश सौरभ बोले- अभी अंजाम और बुरा होगा



नई दिल्ली(ए)। इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के सरकार बनाने की दौड़ में पिछड़ने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने नेतन्याहू के लिए और भी बुरे अंजाम की कामना की है। दास ने नेतन्याहू को नरसंहार करने वाला बताते हुए कहा कि यह गाजा और फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को याद करने का दिन है। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, कितनी खुशी का दिन है। साथ ही उन सब लोगों को याद करने का दिन भी है जो नरसंहार करने वालों के हाथ गाजा, फिलिस्तीन में मारे गए। आशा है कि यह और आगे बढ़े और बेंजामिन नेतन्याहू का अंजाम उससे भी बुरा हो जो उन्होंने बेकसूर लोगों का किया। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगे झटकों पर भी सीजेपी के नेता खुशी जाहिर कर चुके हैं।

इजरायल में हुए ताजा चुनाव के बाद अब सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है, जिसमें पूर्व इजराइल रक्षा बल प्रमुख गादी आइजेनकोट प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बेंजामिन नेतन्याहू से आगे निकल गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को केवल 46 सांसदों का ही समर्थन मिलने की संभावना है। नेतन्याहू के लंबे समय के सहयोगी दल यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म (यूटीजे) ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है, जिससे उनकी राह और मुश्किल हो गई है। 120 सदस्यीय नेसेट (इजराइली संसद) में हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिली थीं, जबकि आइजेनकोट के खेमे को 48 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इन चुनावों में अरब दलों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीतकर सरकार गठन में निर्णायक भूमिका हासिल कर ली है। राजनीतिक गतिरोध के बीच अरब दलों ने आइजेनकोट के समर्थन की घोषणा की है, जिससे उनके पक्ष में सीटों का पलड़ा भारी हो गया है।

केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा औपचारिक रूप से चुनाव परिणाम सौंपे जाने के बाद, राष्ट्रपति हर्जोग ने नेसेट में सीट जीतने वाले राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है। इजराइल के राष्ट्रपति आमतौर पर उसी सांसद को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसके पास गठबंधन बनाने की सबसे अच्छी संभावना होती है। इस फैसले में विचार-विमर्श के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए समर्थन को भी ध्यान में रखा जाता है। सरकार बनाने की जिम्मेदारी पाने वाले नेता को गठबंधन तैयार करने के लिए 28 दिन का समय मिलता है, जिसे राष्ट्रपति अपने विवेक से 14 दिन और बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में, इजरायल में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि दोनों खेमे बहुमत के जादुई आंकड़े (61 सीटें) से दूर हैं।

व्यापारियों के लिए हमेशा मुफ्त नहीं मिल सकता यूपीआई

नई दिल्ली,(ए)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि व्यापारियों को हमेशा मुफ्त यूपीआई लेनदेन की सुविधा का स्थायी भरोसा कभी नहीं दिया गया था। सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के कुछ यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट(एमडीआर) लगाने के अपने प्रस्ताव का बचाव किया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में सरकार ने दलील दी कि शून्य एमडीआर व्यवस्था को जारी रखने का कोई विशेष आश्वासन नहीं था। यह व्यवस्था सरकार के विवेक पर निर्भर सब्सिडी थी, अनिवार्य नहीं। केंद्र ने चार नवंबर को दाखिल हलफनामे में बताया कि एमडीआर की संशोधित व्यवस्था पर इसे लागू करने से काफी पहले विचार शुरू हो गया था और संबंधित पक्षों से चर्चा भी हुई थी।

यह जवाब वकील अंजन दत्ता की जनहित याचिका के संबंध में दिया गया है, जिसमें संशोधित एमडीआर व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इसके जवाब में, केंद्र ने कहा कि एमडीआर की संशोधित व्यवस्था कारोबारियों के व्यवसाय करने के अधिकार पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाती। सरकार के मुताबिक, संविधान यह गारंटी नहीं देता कि कारोबार से जुड़ी सुविधाएं हमेशा मुफ्त ही उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी शुल्क के कारण कारोबारी के मुनाफे में कमी आना अपने आप में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है और कारोबारी एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर भी नहीं डाल सकते। सरकार ने लेनदेन की रकम, भुगतान के तरीके और कारोबारी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था को उचित ठहराया। 2,000 रुपये की सीमा इसलिए तय की गई है ताकि आम खुदरा लेनदेन और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। केंद्र ने दलील दी कि एमडीआर न तो सरकार का टैक्स है और न ही सरकारी फीस। यह एक कारोबारी भुगतान है, जिसे बैंक और व्यापारी के बीच हुए समझौते के तहत काटा जाता है।

सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अंजन दत्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए संशोधित एमडीआर व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एनपीसीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर प्रस्तावित शुल्क का बचाव किया है। उसके अनुसार, एनपीसीआई का असर पी टू एम लेनदेन के केवल एक छोटे हिस्से पर पड़ेगा, जिससे लगभग 96 प्रतिशत लेनदेन अप्रभावित रहेंगे। सरकार ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थायी वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता पर जोर दिया। शून्य एमडीआर व्यवस्था के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच बैंकों को 8,730 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए गए थे, जो अनुमानित सालाना परिचालन लागत (20,700 करोड़ रुपये) का एक छोटा हिस्सा ही था।

शाहरुख खान की फिल्म किंग में भगवा पोशाक पर विवाद

भाजपा विधायक ने दी विरोध की चेतावनी



नई दिल्ली(ए)। अभिनेता शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। इस बार फिल्म की कहानी या कलाकारों को लेकर नहीं, बल्कि इसके एक गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की पोशाक को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। फिल्म के गाने तू मिल जाए में दीपिका भगवा रंग की ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं। इस दृश्य पर दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए गाने से इस दृश्य को हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि फिल्म में भगवा रंग का इस्तेमाल सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण को इस विवाद में केवल एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक ने शाहरुख खान की तीखी आलोचना करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय दर्शकों से मिलने वाली कमाई और पहचान के बाद कलाकारों को देश की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नेगी ने फिल्म के गाने में दीपिका की पोशाक और नृत्य के तरीके पर भी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने दोहराया कि यदि संबंधित दृश्य में बदलाव नहीं किया गया तो देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। यह ताजा विवाद करीब तीन साल पहले आई शाहरुख खान की फिल्म पठान की याद दिला रहा है, जिसके गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकिनी पहने दिखाई दी थीं। उस समय भी अभिनेत्री की पोशाक को लेकर विवाद हुआ था और कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। विधायक रविंदर सिंह नेगी ने मौजूदा विवाद की तुलना उसी घटनाक्रम से की है। इस मामले में विधायक ने अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि धार्मिक अवसरों पर अलग-अलग समुदायों की परंपराओं को लेकर समान रूप से आवाज क्यों नहीं उठाई जाती। इसे भी उन्होंने सनातन धर्म के प्रति कथित दोहरे रवैये से जोड़कर देखा है। हालांकि, इस पूरे विवाद पर अभी तक शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गाने के विवादित दृश्य को हटाने या उसमें बदलाव किए जाने की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

दिल्ली में हर महीने क्यों ढह रही इमारतें?

चावड़ी बाजार हादसे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना



नई दिल्ली,(ए)। चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने गली सितारा वाली में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घटनास्थल का दौरा कर हादसे में दो लोगों की मौत पर शोक जताया। उन्होंने मलबे से एक घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी दी और दबे हुए अन्य लोगों को जल्द निकालने के लिए एनडीआरएफ से राहत अभियान तेज करने का अनुरोध किया।

कांग्रेस नेता यादव ने सरकार से मृतकों के आश्रितों को तत्काल रोजगार और उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने घायलों के लिए भी मुआवजा घोषित करने तथा पिछली इमारत ढहने की घटनाओं में घोषित मुआवजे के वितरण का विवरण सार्वजनिक करने को कहा।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई कागजों तक सीमित है। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घटनास्थल पर पहुंचने का उल्लेख करते हुए यादव ने पूछा कि क्या दिल्ली में हर महीने इमारतें गिरती रहेंगी। उन्होंने कहा कि केवल जेई, एई या अन्य अधिकारियों को निलंबित करने से हादसे नहीं रुकेंगे। अवैध निर्माण में सक्रिय कथित 'लैंटर माफिया' पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यादव ने निगम पार्षदों और अधिकारियों की कथित मिलीभगत की भी जांच की मांग की। उन्होंने 2026 में सैदुल्लाजैब, मुकुंदपुर, करावल नगर, रोहिणी, सत्य निकेतन, न्यू सीमापुरी और मिलन गार्डन के बाद चावड़ी बाजार हादसे का उल्लेख करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।

चुनाव आयोग में बड़ा फेरबदल, आईटी महानिदेशक की निगरानी बदली

नई दिल्ली,(ए)। चुनाव आयोग (ईसी) ने अपने कामकाज में आंतरिक बदलाव करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा किया है। इस फेरबदल के तहत आईटी सिस्टम की प्रभारी महानिदेशक सीमा खन्ना के कामकाज पर निगरानी की नई व्यवस्था लागू की गई है। आयोग द्वारा 4 नवंबर को जारी नए कार्य आवंटन आदेश के मुताबिक, सीमा खन्ना अब वरिष्ठ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पवन कुमार शर्मा की निगरानी में काम करेंगी और उन्हें अपने विभाग से जुड़ी फाइलें शर्मा के माध्यम से भेजनी होंगी। पवन कुमार शर्मा आईटी, आईसीटी और शिकायत निवारण से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब आयोग में कथित आंतरिक मतभेदों और अधिकारियों के बीच कामकाज के बंटवारे को लेकर विवाद लगातार चर्चा में रहा है। चुनाव आयोग के डिजिटल वोटर लिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्रीकरण और सॉफ्टवेयर में लगाई गई पाबंदियों को लेकर सवाल उठे थे, जिससे राज्य के अधिकारियों की मतदाता सूची तक पहुंच सीमित होने का आरोप था। पवन कुमार शर्मा को सिर्फ आईटी और आईसीटी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, चुनाव खर्च नीति, पर्यवेक्षक विभाग और समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है। अन्य बदलावों में, वरिष्ठ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग के पास चुनावी योजना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और चुनावी डेटाबेस प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी बनी रहेगी। नवनियुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर प्रकाश राजपुरोहित को चुनावी योजना से जुड़े कामों में गर्ग की सहायता करने और परिसीमन का प्रभार भी दिया गया है।

टीसीएस धर्मांतरण मामला: एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर केस दर्ज



नासिक,(ए)। नासिक के टीसीएस कार्यालय में महिला से कथित दुर्व्यवहार और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उन्हें आरोपी के तौर पर शामिल करते हुए मामला दर्ज किया है। जलील पर मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है। इससे पहले एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर मतीन पटेल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान जलील के खिलाफ कुछ साक्ष्य सामने आए हैं। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनका बयान दर्ज किया है। मतीन पटेल के फोन से कथित तौर पर मिली कुछ रिकॉर्डिंग के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई गई। एसआईटी ने जलील के वॉयस सैंपल भी लिए हैं और उनकी भूमिका को लेकर कोर्ट को जानकारी दी है। इस मामले में कोर्ट पहले ही अपने आदेश में कह चुका है कि प्रारंभिक जांच में निदा खान और अन्य आरोपियों द्वारा पीड़िता पर मानसिक दबाव डालने की बात प्रथम दृष्टया सामने आती है। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने पहले पीड़िता का विश्वास हासिल किया और उसके धर्म व विचारधारा को बदलने का प्रयास किया। पुलिस अब जलील से आगे पूछताछ की तैयारी कर रही है। मामले में उनकी भूमिका और आरोपों पर उनका पक्ष भी जांच का हिस्सा होगा।